

पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. २१/११/२२ को पेश हो।

21/11/22 पत्रावली पेश हुयी वकील पार्थी को
बलवाना सपन पेश किये हेतु अनेक
अपमान देने के बावजूद भी बलवाना
सपन पेश न करने के कारण पार्थी
का प्रपत्र 0925 जारी के खारिज
किया जाता है पत्रावली जयम शुभ
दोसरे दिन जारी से किये हो कोर्ट
द्वारा सपन के सुनाना जारी

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

